सेवामें,

श्रीमान् आयुक्त

जनजाति विकास विभाग उदयपुर (राज.)

प्रार्थीः– नारायण पिता हांजा मीणा, उम्र वयस्क, निवासी गांव जाबला तह. गिर्वा, जिला उदयपुर

विषयः– प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे की जमीन से वन विभाग द्वारा की जा रही जबरन गैर कानूनी बेदखली रूकवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त प्रार्थी का निवेदन निम्नानुसार हैः–

(1) यह कि गांव मौजा जाबला, पटवार हल्का पडुणा, तह. गिर्वा, जिला उदयपुर में प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि पर प्रार्थी के पिता ने मकान बनाया था जिसमें वर्तमान में प्रार्थी निवासरत है। मकान के पास ही प्रार्थी के खातेदारी की जमीन है जहाँ से एक पानी का नाला निकलता है। उस नाले के पास प्रार्थी ने पाल भी बनायी हुई है जो करीब 56 वर्ष पुरानी है। इसके अलावा जमीन पर पेड भी लगाये हुए हैं। जमीन पर मेरे पिता के समय से ही मक्का, ज्वार एवं सरसों की खेती हम लोग करते आ रहे हैं।

(2) यह कि दिनांक 17–02–2021 को वन विभाग के अधिकारी इस जमीन पर मजदूर लेकर आये। मेरी जमीन जहाँ पर एक बडा पेड खडा हुआ था उसकी जडे को खोदना शुरू कर जड़े काट दी जिसके कारण पेड सूखने जैसा हो गया। मैं करीब 3 बजे घर पर आया तो मैंने पेड की जडे कटी हुई देखी तो मैंने वहाँ काम करने वालों से निवेदन किया कि आप लोग जंगल की सीमा के अन्दर काम करों, वन विभाग की सीमा पर बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है, आप उसके अन्दर काम करने के बजाय बाउण्ड्रीवॉल के बाहर मेरी खाते व कब्जे की जमीन पर काम कर रहे हो। इस पर वन विभाग के फोरेस्टर श्री भगवती जी नाराज हो गये, कहने लगे कि तू हमसे सवाल करने वाला कौन होता है। मैंने उनको समझाया कि आप फोरेस्ट की सीमा के बाहर मेरी खातेदारी व कब्जे की बिलानाम जमीन पर काम करवा रहे हो, मुझे कोई सूचना भी नहीं दी, इसलिऐ मैं पूछ रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप काम मत करो। इसके बाद श्री भगवती जी ने एक झूंठी रिपोर्ट पुलिस थाना टीडी में मेरे खिलाफ दर्ज करवा दी कि मैंने उनके साथ गाली–गलौच की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।

नारायण मीणा

(3) यह कि वन विभाग वालों ने फारेस्ट की बाउण्ड्री के बाहर बिलानाम जमीन पर कुछ समय पूर्व नाले पर एक एनीकट बनवाया था, हमने यह सोचकर कि यह सबके काम आयेगा, उसका विरोध नहीं किया था तथा वन विभाग वालों ने भी यही कहा कि यह सभी लोगों के लिए है।

(4) यह कि वन विभाग के लोग उक्त एनीकट को आधार बनाकर हमारी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए मजदूर लेकर बिना सूचना दिये कार्यवाही करना शुरू एक हरे वृक्ष को नष्ट कर दिया तथा हमारी सम्पत्ति में जबरन बिना सूचना दिये प्रवेश होकर कार्य करवाना शुरू कर दिया।

(5) यह कि वन विभाग एक राजकीय विभाग है उन्हें कानून को हाथ में लेकर कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है, यदि जमीन के सम्बन्ध में उनका कोई विवाद है तो उन्हें हमें विधिवत् नोटिस देना चाहिये था जिसका हम विधिवत् जवाब दे सकते थे, मगर बिना नोटिस दिये अचानक आकर हमारे खाते व कब्जे की भूमि पर काम करवाना किसी भी तरीके से विधिसम्मत नहीं है।

(6) यह कि राजकीय कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने के प्रावधानों का दुरूपयोग कर हमे डराने, धमकाने के लिए झूंठा प्रकरण पुलिस थाना टीडी में दर्ज कराया गया है जबकि सच्चाई इसके विपरीत है।

(7) यह कि हमारी खाते व कब्जे की भूमि एवं वन विभाग द्वारा की गई गैर कानूनी कार्यवाही की जांच करवाना न्यायहित में आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि हमारे खाते व कब्जे की भूमि पर बिना किसी पूर्व सूचना के, वन विभाग के कर्मचारियों को जाने का औचित्य क्या था? इसकी जांच करायी जाय।

अतः प्रार्थना है कि हमारे खातेदारी व कब्जे की भूमि पर बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये हमें बेदखल की कार्यवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करावें तथा उनके द्वारा प्रस्तुत झूंठी रिपोर्ट की जांच भी करावे।

उदयपुर,

दिनांकः– 23–02–2021

(ह. प्रार्थी)

नारायण भील

(8) यह कि देश में विधि का राज्य है तथा किसी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने से पूर्व या किसी की सम्पत्ति में दखलन्दाजी से पूर्व उसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना आवश्यक है, जब काश्तकारों की फसल खेत में खड़ी हुई है और उनके घर भी पास में ही स्थित है ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा अचानक बिना पूर्व सूचना के व अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जिस तरह की कार्यवाही की गई है व बाउण्ड्रीवॉल की खुदाई का कार्य शुरू किया गया है वह सर्वथा विधि विपरीत है और सम्बन्धित कर्मचारी कानून तोडने के गुनहगार है।

(9) यह कि प्रार्थीगण के गांव बारा के खातेदारों एवं नाजायज कब्जेधारियों को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी तरीके से बेदखल करने का वन विभाग या किसी भी विभाग को कोई हक या अधिकार कानूनी रूप से नहीं है।

(10) यह कि प्रार्थीगण का गांव अनुसूचित क्षेत्र में आने से प्रार्थीगण के हितों की रक्षा का दायित्व जनजाति विकास विभाग का है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि गांव बारा की वन भूमि का हिन्दुस्तान जिंक को हस्तान्तरण एवं गांव की बिलानाम भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण की पूरी प्रक्रिया विधि विपरीत होने से इसकी जांच कराई जाये तथा दिनांक 23-12-2020 को प्रार्थीगण के गांव के कृषकों की खातेदारी भूमि में जबरन जे.सी.बी. चलाकर खड्डे खोदने की कार्यवाही करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करावे तथा गांव की बिलानाम कृषि भूमि पर काबिज काश्तकारों को विधिनुसार उनके कब्जों का नियमन की कार्यवाही भी शुरू करवाये।

उदयपुर,

दिनांकः– 4/1/2021

अध्यक्ष
अधिनियम 1999 व नियम 2011 के तहत
पैसा कानून गांव सभा शांति समिति कमेटी
बारां, पं.बारां, पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर